न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 103/2024

अनवान : –

1. श्योकत खान पुत्र मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सिकन्दर खा पठान पुत्र मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जमीला पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुस्कान बानो पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सीमा बानो पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. अजीजबानो पत्नी मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/88 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 की कुल 1.9490 हैक्ट भूमि में से समीम बानो व प्रतिवादीगण संख्या 4 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि समीम बानो पत्नी मिनू खां के नाम दर्ज है जो की वादीगण की माता है समीम बानो पत्नी मिनू खां का देहान्त हो चुका है समीम बानो पत्नी मिनू खां के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ने वादग्रस्त भूमि बाबत बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारानामा के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है जो की निम्ननानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:32 IST
Reason: SelfAttested

1. वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/88 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से समीम बानो के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में समीम बानो का नाम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

कलमजन कर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा यथावत रहेगा।

2. रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्ट, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 317/433 मु0न0 18 के किला न0 21 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट बारानी भूमि कुल 0.987 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

3. रोही मौजा चक 1 एनआरआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट, 17 की 0.2530 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 316/434 मु0न0 22 के किला न0 5/2 की 0.203 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 25/1 की 0.025 हैक्ट रास्ता कुल तादादल 0. 962 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 4 के पास रहेगी। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वदीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा 1 एनएचआर बी खाता संख्या 4/104, रोही मौजा 14 बारानी खाता संख्या 4/88, मृत्यु प्रमाण पत्र समीम, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र बहक मिनु खां आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र [illegible] पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:32 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षका[illegible] बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण की माता समीम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बानो पत्नी मिनू खां के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है समीम बानो पत्नी मिनू खां का देहान्त हो चुका समीम बानो पत्नी मिनू खां के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 उपर्युक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/88 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 की कुल 1.9490 हैक्ट भूमि में से समीम बानो व प्रतिवादीगण संख्या 4 प्रत्येक के 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि समीम बानो पत्नी मिनू खां के नाम दर्ज है जो की वादीगण की माता है समीम बानो पत्नी मिनू खां का देहान्त हो चुका है समीम बानो पत्नी मिनू खां के जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 ने वादग्रस्त भूमि बाबत बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारानामा के अनुसार ही वादग्रस्त भूमि काश्त करते आ रहे है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/88 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से समीम बानो के नाम दर्ज ... समीम बानो का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के ... घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा यथावत रहेग तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्ट, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 317/433 मु0न0 18 के किला न0 21 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट बारानी भूमि कुल 0.987 हैक्ट भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनआरआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट, 17 की 0.2530 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 316/434 मु0न0 22 के किला न0 5/2 की 0.203 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 25/1 की 0.025 हैक्ट रास्ता कुल तादादी 0.962 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 103/2024

अनवान : –

1. श्योकत खान पुत्र मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सिकन्दर खा पठान पुत्र मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. जमीला पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुस्कान बानो पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. सीमा बानो पुत्री मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. अजीजबानो पत्नी मीनू खां जाति पठान मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 103 सन 2024 निर्णय दिनांक – 06/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/88 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से समीम बानो के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में समीम बानो का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा यथावत रहेग तथा रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्ट, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 317/433 मु0न0 18 के किला न0 21 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट बारानी भूमि कुल 0.987 हैक्ट भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 1 एनआरआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 4/104 के प0न0 316/433 मु0न0 17 के किला न0 14 की 0.2530 हैक्ट, 17 की 0.2530 हैक्ट, 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 316/434 मु0न0 22 के किला न0 5/2 की 0.203 हैक्ट, प0न0 318/435 मु0न0 35 के किला न0 25/2 की 0.114 हैक्ट, प0न0 25/1 की 0.025 हैक्ट रास्ता कुल तादादल 0.962 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर